

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्ष०)-19/2016..... 399 न०वि० एवं
आ०वि०, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-9 सह-पठित बिहार
शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए बिहार सरकार, एतद्वारा गया शहर एवं उसके आस पास के क्षेत्रों को समेकित एवं
सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से, अगले बीस वर्षों अथवा इससे विस्तारित अवधि
के लिए महायोजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित आयोजना क्षेत्र घोषित करती है, जिसे
"गया आयोजना क्षेत्र" कहा जायेगा। इसकी स्थानीय सीमाएं निम्नवत् हैं : -

- उत्तर- पूर्वी भाग में मानपुर सी०डी० ब्लॉक के ननौक, खेदरपुरा, गया सी०डी० ब्लॉक के
सियारभुखा, मसनदबिगहा, मंदनबिगहा, बेलागंज सी०डी० ब्लॉक के आलम बिगहा,
कचनपुर अगथू से होते हुए पश्चिम में गोबराहा तक।
- दक्षिण- पूर्वी भाग में मानपुर सी०डी० ब्लॉक के सोहाईपुर, बोधगया सी०डी० ब्लॉक के लारपुर,
मानपुर सी०डी० ब्लॉक के भदेजा, भदेजी, गया नगर निगम सीमा के दक्षिणी भाग से
होते हुए बोधगया सी०डी० ब्लॉक के खरन्ती कचनपुर, सीजुआ से होते हुए भैया बिगहा,
नौदीहा, परहन्दा, अन्तीया से होते हुए पश्चिम में तीरखा, सोभा बिगहा, गुरी तक।
- पूरब- उत्तरी भाग में मानपुर सी०डी० ब्लॉक के नौधरीया, दूधैला, बेरेवा से होते हुए बारा,
ननहक चक, लोदीपुर, हारली, गौरा, ब्रह्मगरे, बैजल तेतरीया, मसौथा खुर्द से होते हुए
दक्षिण में वंदहुवा तक।
- पश्चिम- उत्तरी भाग में बेलागंज सी०डी० ब्लॉक के लक्ष्मीपुर, गया सी०डी० ब्लॉक के छतरघाट,
केरू धर्मपुर, चुरी, परैया सी०डी० ब्लॉक के परनपुर, कास्था, गया सी०डी० ब्लॉक के
औरावान, मंदनबिगहा, परैया सी०डी० ब्लॉक के मोहनपुर, इनारपुर, बोधगया सी०डी०
ब्लॉक के जमारी, बारावान, भुसिया, दीरावन, परसा कलन, ईलारा, शेखा बिगहा से होते
हुए दक्षिण में बजराहा तक।

गया आयोजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल-308.31 वर्ग कि०मी० है, जिसमें 50.17 वर्ग
कि०मी० शहरी क्षेत्र एवं शेष 258.14 वर्ग कि०मी० ग्रामीण क्षेत्र है। इसमें एक शहरी प्रशासनिक
इकाई गया नगर निगम एवं गया टाउन सी०डी० ब्लॉक के 77 राजस्व ग्राम, बेलागंज सी०डी०
ब्लॉक के 8 राजस्व ग्राम, मानपुर सी०डी० ब्लॉक के 49 राजस्व ग्राम, परैया सी०डी० ब्लॉक के 04
राजस्व ग्राम एवं बोधगया सी०डी० ब्लॉक के 24 राजस्व ग्राम सहित कुल 162 राजस्व ग्राम शामिल
है।

इस आयोजना क्षेत्र का नक्शा अनुसूची-I के रूप में, आयोजना क्षेत्र के अधीन शहरी
प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों का विवरण अनुसूची-II के रूप में एवं आयोजना क्षेत्र के
अधीन शहरी प्रशासनिक इकाई तथा राजस्व ग्रामों के नाम एवं आबादी का विवरण अनुसूची-III
के रूप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न है।

विकास योजनाओं की तैयारी के दौरान प्रशासनिक इकाईयों एवं आयोजना क्षेत्र के
क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए, आयोजना क्षेत्र के कुल
क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेरबदल, आयोजना क्षेत्र के उपान्त क्षेत्र की घोषणा,
आयोजना प्राधिकार के गठन, विकास योजना की अवधि के अवधारण एवं अन्य नियमानुकूल
कार्रवाई के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

2. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

17/5/2018
(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

(175)

ज्ञापांक -11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)-19/2016.399/न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-18/5/17
प्रतिलिपि -अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना
(सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि
प्रकाशित गजट के 200 कॉपी कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय।

17/5/2017
प्रधान सचिव,

ज्ञापांक -11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)-19/2016.399/न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-18/5/17
प्रतिलिपि -मुख्य सचिव, बिहार/ विकास आयुक्त, बिहार/ बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड
के सदस्य/ प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध/ जिलाधिकारी गया/नगर आयुक्त, नगर निगम,
गया/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, न०वि० एवं आ०वि०/ सभी संबंधित क्षेत्र
के अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

17/5/2017
प्रधान सचिव,

174

Government of Bihar
Urban Development & Housing Department

NOTIFICATION

No - 11 / न०वि० / मा०प्लान (आ०क्षे०) - 19 / 2016. ⁴⁰⁰, UD&HD, in exercise of the powers conferred by Section-9 of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 read with Rule-9 of the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014, the Government of Bihar is hereby, with the objective of integrated and planned development of Gaya Town and important areas surrounding it, to prepare Master Plan of Gaya for a period of 20 years or more, declares the following planning area, to be known as "Gaya Planning Area". Its local boundaries are as follows -

- North - In the Eastern part from Nanauk, Khedarpura of Manpur CD Block, Siarbhuka, Masnad Bigha of Gaya CD Block, Alam Bigha, Kachanpur Agthu of Belaganj CD Block upto Gobraha in the Western part.
- South- In the Eastern part from Sohaipur of Manpur CD Block, Larpur of Bodhgaya CD Block, Bhadeja, Bhadeji of Manpur CD Block, southern boundary of Gaya Nagar Nigam, Kharanti, Kachanpur, Sijua, Bhaiya Bigha, Naudiha, Parhanda, Antiya of Bodhgaya CD Block upto Tirkha, Sobha Bigha, Guri in the western part.
- East - In the Northern part from Naudharia, Dudhela, Berewa, Bara, Nanhak Chak, Lodipur, Harli, Gaura, Burhgere, Baijal Tetariya, Masuatha Khurd of Manpur CD Block upto Bandhuwa in the Southern part.
- West - In the Northern part from Lachhmipur of Belaganj CD Block, Chatarghat, Kesru Dharampur, Churi of Gaya CD Block, Paranpur, Kastha of Paraiya CD Block, Aurawan, Mandan Bigha of Gaya CD Block, Mohanpur, Inarpur of Paraiya CD Block, Jamari, Barawan, Bhusia, Dirawan, Parsa Katan, Ilara, Shekha Bigha of Bodhgaya CD Block upto Bajraha in the Southern part.


The total area of Gaya Planning Area is 308.31sq.km, in which 50.17sq.km is urban area and the rest 258.14sq.km is rural area. It includes one urban administrative unit - Gaya Municipal Corporation and a total of 162 revenue villages including 77 revenue villages of Gaya Town Block, 8 revenue villages of Belaganj Block, 49 revenue villages of Manpur CD Block, 4 revenue villages of Paraiya Block, 24 revenue villages of Bodhgaya Block and within the Planning Area.

Map of this Planning Area as Appendix-I, List of Administrative Units and Revenue Villages as Appendix-II, names and population details of Urban Administrative Unit and Revenue Villages falling under this Planning Area as Appendix-III are appended to this notification.

Keeping in view the probability of modification and changes in the area of administrative units and planning area during preparation of the development plan, the Urban Development and Housing Department shall be the competent authority to modify and change the area upto ten percent of the total area of this planning area, declaration of peripheral area to this planning area, constitution of planning authority, determination of period of development plan and other lawful action.

2. This notification shall come into force at once.

By the order of Governor,


(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary


Urban Development and Housing Department

173

Memo No. -11 / न०वि० / मा०प्लान(आ०क्षे०)-19 / 2016..400/UD&HD/Patna, dated 18/5/17

Copy to -Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbag, Patna, E-Gazette Cell, Finance Department, Patna, Bihar with CD for publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.


He is requested to make available 200 copies of published Gazette for official use immediately.


17/5/2017

Principal Secretary

Memo No. -11 / न०वि० / मा०प्लान(आ०क्षे०)-19 / 2016..400/UD&HD/Patna, dated 18/5/17

Copy to -Chief Secretary Bihar/ Development Commissioner Bihar/Members of the Bihar Urban Planning and Development Board/ Divisional Commissioner, Magadh/ District Magistrate, Gaya/ Municipal Commissioner, Municipal Corporation Gaya/ P.S Hon'ble Minister, UD&HD/ Circle officers of the concerned area for kind information and necessary action.


17/5/2017

Principal Secretary

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

मंत्रिपरिषद के लिए संलेख

गोपनीय

पृष्ठ नं०

विषय— "गया आयोजना क्षेत्र" की घोषणा की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

गया, जिला मुख्यालय के साथ मगध प्रण्डल का प्रशासनिक मुख्यालय शहर है। यह ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थल है। गया शहर एवं उसके आस पास के क्षेत्रों को समेकित एवं सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से अगले बीस वर्षों अथवा इससे विस्तारित अवधि के लिए महायोजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ बिहार आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-9 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 के आलोक में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा आयोजना क्षेत्र की घोषणा किया जाना है, जिसे "गया आयोजना क्षेत्र" कहा जा सकेगा।

2. गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारम्भिक प्रारूप, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में, तैयार किया गया एवं इसके प्रारूप पर आमजनों एवं हितधारकों से जिलाधिकारी द्वारा सुझाव एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित किया गया। वर्णित दिशा निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी गया द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को आयोजना क्षेत्र का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिसपर दिनांक- 24.01.2017 को बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की पंचम बैठक में विचारोपरान्त सहमति प्रदान की गयी।

3. गया आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 308.31 वर्ग कि०मी० है, जिसमें शहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल 50.17 वर्ग कि०मी० एवं शेष ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल 258.14 वर्ग कि०मी० है। इस आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत एक शहरी प्रशासनिक इकाई गया नगर निगम एवं गया टाउन सी०डी० ब्लॉक के 77, बेलागंज सी०डी० ब्लॉक के 8, मानपुर सी०डी० ब्लॉक के 49, परैया सी०डी० ब्लॉक के 04 एवं बोधगया सी०डी० ब्लॉक के 24 राजस्व ग्राम सहित कुल 162 राजस्व ग्राम शामिल है। इस आयोजना क्षेत्र की चौहद्दी निम्न है -

उत्तर - पूर्वी भाग में मानपुर सी०डी० ब्लॉक के ननौक, खेदरपुरा, गया सी०डी० ब्लॉक के सियारभुखा, मसनदबिगहा, मंदनबिगहा, बेलागंज सी०डी० ब्लॉक के आलम बिगहा, कचनपुर अगथू से होते हुए पश्चिम में गोबराहा तक।

दक्षिण - पूर्वी भाग में मानपुर सी०डी० ब्लॉक के सोहाईपुर, बोधगया सी०डी० ब्लॉक के लारपुर, मानपुर सी०डी० ब्लॉक के भदेजा, भदेजी, गया नगर निगम सीमा के दक्षिणी भाग से होते हुए बोधगया सी०डी० ब्लॉक के खरन्ती कचनपुर, सीजुआ से होते हुए भैया बिगहा, नौदीहा, परहन्दा, अन्तीया से होते हुए पश्चिम में तीरखा, सोभा बिगहा, गुरी तक।

पूरब - उत्तरी भाग में मानपुर सी०डी० ब्लॉक के नौधरीया, दूधैला, बेरेवा से होते हुए बारा, ननहक चक, लोदीपुर, हारली, गौरा, ब्रूहगेरे, बैजल तेतरीया, मसौथा खुर्द से होते हुए दक्षिण में वंदहुवा तक।

पश्चिम- उत्तरी भाग में बेलागंज सी०डी० ब्लॉक के लक्ष्मीपुर, गया सी०डी० ब्लॉक के छतरघाट, केरू धर्मपुर, चुरी, परैया सी०डी० ब्लॉक के परनपुर, कास्था, गया सी०डी० ब्लॉक के औरावान, मंदनबिगहा, परैया सी०डी० ब्लॉक के मोहनपुर, इनारपुर, बोधगया सी०डी०

ब्लॉक के जमारी, बारावान, भुसिया, दीरावन, परसा कलन, ईलारा, शेखा बिगहा से होते हुए दक्षिण में बजराहा तक।

4. इस आयोजना क्षेत्र का नक्शा अनुसूची-1, आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों का विवरण अनुसूची-11, आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई तथा राजस्व ग्रामों के नाम एवं आबादी का विवरण अनुसूची-111 के रूप में संलग्न है।
5. आयोजना क्षेत्र की घोषणा के पश्चात् बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के तहत आयोजना प्राधिकार का गठन एवं आयोजना क्षेत्र का विकास योजना (मास्टर प्लान) तैयार किया जाएगा।
6. विकास योजना की तैयारी के दौरान प्रशासनिक इकाईयों एवं आयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेरबदल, आयोजना क्षेत्र के उपान्त क्षेत्र की घोषणा, आयोजना प्राधिकार के गठन, विकास योजना की अवधि के निर्धारण एवं अन्य नियमानुकूल कारवाई के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।
7. प्रस्ताव है कि कंडिका-3 से 6 में वर्णित तथ्यों के आलोक में गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाय।
8. इस आयोजना क्षेत्र की सीमांकन एवं घोषणा पर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति प्राप्त है।
9. प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
10. अधिसूचना प्रारूप पर विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।
11. प्रारूप पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
12. उपरोक्त कंडिका-7 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्ति है।

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव।

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक -11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)-19/2016-322 न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक-11/5/17
प्रतिलिपि-संलेख की 45 अतिरिक्त प्रतियों के साथ मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक की कार्यावली में शामिल करने हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

नगर विकास एवं आवास विभाग।

GAYA PLANNING AREA

158



KEY MAP

LEGEND

- ADMINISTRATIVE BOUNDARIES
- BLOCK BOUNDARY
- GAYA MUNICIPAL BOUNDARY
- GAYA PLANNING AREA BOUNDARY
- REGIONAL CONNECTIVITY
- NATIONAL HIGHWAY
- STATE HIGHWAY
- RAILWAY TRACK
- FALGU RIVER

Brief Profile:-


Nagar Nigam Area : 50.17 sq.km
 Total Planning area: 308.33 sq.km
 Total Population: 797078
 (as per Census 2011)
 Urban administrative Unit: 1
 Revenue Villages: 162

GAYA PLANNING AREA



SCALE 1:90,000

Prepared By:-
 Town and Country Planning Organisation
 UD & HD, Bihar



अनुपत्ती - II

गया आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों का विवरण

SLNO.	C.D. BLOCKS	NO. OF REVENUE VILLAGES	RURAL AREA (IN SQ KM)	NO. OF URBAN ADMINISTRATIVE UNITS	URBAN AREA (IN SQKM)	TOTAL AREA (IN SQ KM)
1	Gaya Town	77	131.43	1	50.17	181.6
2	Belaganj	8	13.68	0	0	13.68
3	Manpur	49	72.47	0	0	72.47
4	Paraiya	4	5.4	0	0	5.4
5	Bodhgaya	24	35.16	0	0	35.16
TOTAL		162	258.14	1	50.17	308.31